भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 218

जिसका उत्तर सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

स्टैंड-अप इंडिया योजना

218. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री नवसकनी के.:
श्री सी. एन. अन्नादुरई.:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टैंड- अप इंडिया योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस योजना ने अपने प्रारंभ से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दिया है;

(ख) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए वर्गीकृत उद्यमियों की संख्या का कोई ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार के पास स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और संवितरित ऋणों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों सहित लाभार्थियों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि उन्हें इस योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके;

(ङ) इस योजना के सफल कार्यान्वयन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(च) राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर इस योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): स्टैंड-अप इंडिया योजना का शुभारंभ विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबीस) की प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये की राशि के ऋण दिए जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 05 अप्रैल, 2016 को किया गया था।

यह योजना सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना को आरंभ किए जाने से लेकर दिनांक 27.01.2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

अनुसूचित जाति (महिला सहित)	अनुसूचित जनजाति (महिला सहित)	महिला
49,031	15,962	1,94,804

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला उद्यमियों सहित स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत संवितरित ऋणों की कुल संख्या का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

संभावित उधारकर्ता ऑनलाइन पोर्टल (www.standupmitra.in) और जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन पोर्टल संभावित उधारकर्ताओं को ऋण के लिए बैंकों के साथ जोड़ने के अलावा, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों सहित संभावित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयासों में प्रशिक्षण से लेकर बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार ऋण आवेदनों को भरने तक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

इस योजना के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है और विभिन्न स्तरों जैसे जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों (डीएलसीसी), राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियों (एसएलआईसी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) और बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। वित्तीय सेवाएं विभाग भी नियमित अंतरालों पर योजना की निगरानी और समीक्षा करता है।

****

"स्टैंड अप इंडिया योजना" के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को उत्तर दिये जाने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 218 के संदर्भ में अनुबंध		
पिछले तीन वर्षों यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2024 के दौरान महिला उद्यमियों सहित स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संवितरित ऋणों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	61
2	आंध्र प्रदेश	4711
3	अरुणाचल प्रदेश	130
4	असम	403
5	बिहार	2582
6	चंडीगढ़	93
7	छत्तीसगढ	1158
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	37
9	दिल्ली	465
10	गोवा	148
11	गुजरात	2958
12	हरियाणा	1338
13	हिमाचल प्रदेश	335
14	जम्मू और कश्मीर	217
15	झारखंड	984
16	कर्नाटक	4079
17	केरल	2242
18	लद्दाख	203
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	3698
21	महाराष्ट्र	4248
22	मणिपुर	86
23	मेघालय	139
24	मिजोरम	114
25	नगालैंड	169
26	ओडिशा	2061
27	पुदुचेरी	61
28	पंजाब	1394
29	राजस्थान	2316
30	सिक्किम	114
31	तमिलनाडु	1749
32	तेलंगाना	3136
34	त्रिपुरा	155
35	उत्तर प्रदेश	4245
36	उत्तराखंड	761
	पश्चिम बंगाल	2358
कुल योग		**48948**
स्रोत: सिडबी		